

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक :-प. 3(3)साप्र/2/2024 - 03802

जयपुर, दिनांक : 05-11-2024

—: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी तृतीय श्रेणी की ऑनलाईन वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवण्टित किया जाता है:-

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	आवंटी का नाम एवं पदनाम	सेवानिवृति	आवंटित राजकीय आवास
1	1496	Ms. Priya Goyal (Assistant Engineer, PHED)	31-Jul-2052	<b>E-920 Gandhi Nagar</b>
2	1497	Ms. Pooja Karwasara (Assistant Engineer, PHED)	31-sep-2055	<b>III-46 Gandhi Nagar</b>
3	1499	Mrs ALKA SHEKHAWAT (Assistant Director, FD(Admin))	31-Jan-2046	<b>III-60 Gandhi Nagar Subject to vacation</b>
4	1500	Ms. VINITA (Nurse Grade II, Med. Edu)	30-Nov-2041	<b>15/45 Malviya Nagar</b>
5	1501	Mr. NITESH KUMAR JANGID (Assistant Engineer, WR)	31-Jul-2057	<b>III-A-6 Gandhi Nagar</b>
6	1503	Mrs MAMTA SHARMA (Nurse Grade II, Med. Edu)	30-Jun-2045	<b>15/47 Malviya Nagar</b>
7	1504	Mr. TARACHAND (Nurse Grade II, Med. Edu)	31-Dec-2050	<b>15/48 Malviya Nagar</b>
8	1505	Mr. ANANDI LAL RAIGAR (Nurse Grade II, MHFW)	30-Sep-2039	<b>III-C-17 Gandhi Nagar</b>
9	1506	Mr. VINOD KUMAR SOOTHWAL (Nurse Grade II, Med. Edu)	31-Oct-2046	<b>15/68 Malviya Nagar</b>
10	1507	Mr. PANKAJ PAREEK (Section Officer, Law)	30-Apr-2041	<b>15/46 Malviya Nagar</b>
11	1508	Mr. KAMLESH SHARMA (Section Officer, Cab.Sec.)	31-Jul-2035	<b>15/49 Malviya Nagar</b>
12	1509	Mr. MANVENDRA SINGH TANWAR (Assistant Secretary, AR&C)	31-Dec-2051	<b>15/50 Malviya Nagar</b>
13	1512	Mr. Shailesh Kumar Swami (Section Officer, DOP)	31-Jan-2036	<b>III-B-17 Gandhi Nagar</b>
14	1513	Mrs MANISHA KUMARI SHARMA (Nurse Grade II, Med. Edu)	31-Oct-2047	<b>15/72 Malviya Nagar</b>
15	1519	Mrs RAKHEE PARMAR (Section Officer, Law)	31-Jul-2047	<b>III-B-13 Gandhi Nagar</b>
16	1522	Mrs Vineeta Ranawat (Assistant Section Officer, LED)	28-Feb-2041	<b>GAD/III/T-2/11 Vidhyadhar nagar</b>
17	1523	Mr. RANJIT (Senior Accounts Officer, FD(Admin))	30-Jun-2043	<b>III-B-4 Gandhi Nagar</b>
18	1526	Ms. ANJALI RATHORE (Teacher, Sc. Edu)	30-Jun-2028	<b>15/52 Malviya Nagar</b>
19	1527	Ms. POONAM MEENA (Nurse Grade II, Med. Edu)	31-May-2050	<b>15/55 Malviya Nagar</b>
20	1528	Ms. DEEKSHA AGRAWAL (Assistant Engineer, PWD)	30-Nov-2056	<b>III-A-9 Gandhi Nagar</b>
21	1529	Mrs HIMANI VERMA (Child Development Project Officer, WCD)	31-Aug-2045	<b>III-C-15 Gandhi Nagar Subject to vacation</b>



22	1533	Mrs ANUPAM PAREEK (Assistant Director, Agr D)	31-Jan-2044	III-C-16 Gandhi Nagar
23	1535	Mrs SUMAN PANWAR (Section Officer, CAD & WUD)	30-Nov-2036	III-101 Gandhi Nagar Subject to vacation
24	1536	Ms. MITU POPLI (Junior Accountant, FD(Admin))	30-Jun-2044	15/56 Malviya Nagar
25	1537	Ms. USHA KIRAN (Assistant Engineer, PHED)	31-Aug-2055	15/65 Malviya Nagar
26	1538	Mr. DIGAMBER SINGH (Nurse Grade II, Med. Edu)	31-Dec-2051	15/66 Malviya Nagar
27	1539	Ms. SANJU CHOUDHARY (Assistant Engineer, PHED)	31-Oct-2052	15/67 Malviya Nagar
28	1540	Ms. PARINEETA KUMAWAT (Assistant Engineer, PHED)	30-Nov-2054	15/70 Malviya Nagar
29	1547	Mrs MONIKA CHOUDHARY (Assistant Engineer, WR)	31-Dec-2054	15/71 Malviya Nagar

**शर्तें:-**

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्यदिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. क्रम संख्या 5, 8, 13, 15, 17, 20, 21 एवं 22 से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 225/- (अक्षरे दो सौ पच्चीस रूपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

( मन मोहन गौड़ )

वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. निदेशक, समेकित बाल सेवायें, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

6. शासन उप सचिव, कार्मिक ख विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जल संसाधन विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करें।
10. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर/अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करें।
11. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
14. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
15. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आवंटियों मेंसे यदि किसी आवंटी को अस्थायी राजकीय आवास आवंटित हैं तो उन्हें उक्त आवंटित आवास का कब्जे लेने हेतु निर्देशित कर अस्थायी आवास रिक्त कराया जाना सुनिश्चित करे।
16. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही ऑनलाईन राजकाज पोर्टल के माध्यम से ही कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करे।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
18. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
19. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिकारीगण को ऑनलाईन राजकाज पोर्टल के माध्यम से ही कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करे।
20. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय को सम्भलवाने के पश्चात् ही ऑनलाईन राजकाज पोर्टल के माध्यम से ही कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करे।
21. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
22. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव